21/2022/1/143282/2022-71-2099/263/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानुपुर ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या 31-के अंतर्गत असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/900, दिनांक 14.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानुपुर में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या 31-के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क इलाज हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अर्न्तगत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि में रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 6166.71 लाख में से रू0 810.00 लाख (रूपए आठ करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के निवर्तन पर अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -:

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा
2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3) निदेशक, संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
4) उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5) वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

3- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-3464-दस-2021-22, दिनांक 25 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर ।
5. संबंधित संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in